

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 17, मंगलवार, शके 1948- अप्रेल 07, 2026 Chaitra 17, Tuesday, Saka 1948- April 07, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 30, 2026

जी.एस.आर.05 :-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं.35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2026 है ।

(2) ये 01.04.2026 से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 13-क का संशोधन.- राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 13-क के विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट पूरक परीक्षा के पश्चात्, पांचवी कक्षा और आठवीं कक्षा के बालक उसी कक्षा में रोक दिये जायेंगे, यदि वे पूरक परीक्षा में समस्त विषयों में उत्तीर्ण नहीं होते/होती हैं।”

[संख्या प.17(30)प्राशि/2017-03839]

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

मुन्नी मीना,

संयुक्त शासन सचिव।

ELEMENTRAY EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, March 30, 2026

G.S.R.05 .-In exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No.35 of 2009), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force with effect from 01.04.2026.

2. Amendment of rule 13A.- The existing sub-rule (3) of rule 13-A of the Rajasthan Right to Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 shall be substituted by the following, namely:-

“(3) After supplementary examination referred to in sub-rule (2), child of class fifth and class eighth shall be held back, if he/she does not pass in all subjects in supplementary examination.”

[No. F.17(30)Ele.Edu./2017-03839]

By order and in the name of the Governor,
MUNNI MEENA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.